

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी - राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :- 78/2018

दायर तारीख :- 29-10-2018

1. फूली देवी पत्नी नारायण
2. गैन्दालाल
3. ओमप्रकाश
4. धर्मराज
5. कमली
6. मिश्री
7. सूसा
8. शिमला

पुत्रान नारायण

पुत्रियान नारायण

समस्त जाति गुर्जर निवासी भोजपुरा
उर्फ लाखावाला तहसील विराटनगर
जिला जयपुर राज0।

— वादीगण

बनाम

1. श्रीराम पुत्र खीवा
2. प्रहलाद
3. रामकवार
4. जयराम
5. श्रवण
6. हजारी
7. मुखराम
8. बिमला
9. श्रवण
10. सरोज
11. गीता
12. बनवारी पुत्र पन्ना
13. छाजू पुत्र देवला
14. हीरा देवी पत्नि उमराव
15. गुलझारी
16. बाबूलाल
17. इन्द्राज
18. झाझू पुत्र देवला
19. जयराम
20. राधेश्याम
21. कमलेश
22. लाडा पत्नी दाताराम
23. रामवतार
24. हंसराज
25. प्रेम देवी पुत्री दाताराम
26. मूंगी पत्नि ग्यारसा

पुत्रान भौरा

पुत्रान रामकरण

पुत्रियान रामकरण

पुत्रान उमराव

पुत्रान पांचू

पुत्रान दाताराम

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

27. विक्रय } पुत्रान ग्यारसा
 28. विकास }
 29. ममता } पुत्रियान ग्यारसा
 30. मेवा }
 31. हीरा }
 32. कल्याण पुत्र महादेव
 33. राजू } पुत्रान रामेश्वर
 34. अमीचन्द }
 35. नेतराम }
 36. धूणा देवी पत्नि रामेश्वर
 37. विमला पुत्री रामेश्वर
 38. दौला पुत्र सूरजा (फौत)
 38/1. प्रकाश } पुत्रान दौला
 38/2. सुन्दर }
 38/3. सरबाई पुत्री स्व. दौला
 38/4. ज्याना पत्नि स्व. दौला
 39. हरला } पुत्रान सूरजा
 40. लीलाराम }
 41. अमरी
 42. पतासी
 43. गुल्ली पत्नी अर्जुन
 44. मदन पुत्र अर्जुन
 45. मेवारा पुत्र अर्जुन
 46. छोटी } पुत्रियान अर्जुन
 47. कमली }
 48. छीतर पुत्र भैरू (फौत)
 48/1. गौरा पत्नी छीतर
 48/2. संतराम पुत्र छीतर
 48/3. सूंसा } पुत्रियान छीतर
 48/4. ग्यारसी }
 48/5. दाफा }
 49. पालाराम पुत्र रामसहाय
 50. बीरबल } पुत्रान भगवाना
 51. हनुमान }
 52. जयराम }
 53. श्रवण } पुत्रियान भगवाना
 54. फूली }
 55. सन्ती }
 56. छाजू पुत्र भूरा



[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 द्वाराटनगर (जयपुर)

57. बरफी }
 58. कमली } पुत्रियान भूरा
 59. सूसा }
 60. उमराव } पुत्रान घीसा
 61. भम्भू }

62. कमली पुत्री घीसा

समस्त जाति गुर्जर निवासी भोजपुरा उर्फ लाखावाला तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

63. उपपंजियक, उप पंजियक कार्यालय विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

64. राजस्थान सरकार भू-स्वामी जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपरिस्थित : श्री गणपत लाल पंसारी, अधिवक्ता वादीगण
 एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 62
 पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 29.07.2021

- वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम भोजपुरा उर्फ लाखावाला के खाता संख्या 130 के खसरा नम्बर 634/0.21, 652/0.06, 663/0.04, 698/0.04 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामिल होती है। वादीगण का उपरोक्त भूमि में 1/18 हिस्सा है जो खसरा नंबर 634 में शुरू से ही काश्त किया जा रहा है, लेकिन प्रतिवादीगण ने एक राय होकर वादीगण को काश्त करने से मना कर दिया, जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ। वादीगण का हिस्सा बहुत कम है और प्रतिवादीगण एक राय होकर वादीगण को खसरा नंबर 634 में हिस्सा नहीं देते हैं, जबकि वादीगण अपने बुजुर्गों के समय से ही खसरा नंबर 634 के पश्चिमी हिस्से में भूमि काश्त करते आ रहे हैं, लेकिन प्रतिवादीगण एक राय है और वादीगण को वादीगण का हिस्सा नहीं देते हैं। उपरोक्त आराजी खसरा नंबरान में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/30, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 12 का हिस्सा 1/30, प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 18 का हिस्सा 1/15, प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 21 का हिस्सा 1/30, प्रतिवादी संख्या 22 लगायत 31 का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 32 का हिस्सा 3/96 है एवं जिसमें सारली फौत हो गई, इसलिए उसका हिस्सा महोदव के वारिसान को जाएगा, प्रतिवादी संख्या 33 लगायत 37 का हिस्सा 1/24, प्रतिवादी संख्या 38 लगायत 47 का हिस्सा 1/6 है, जिसमें बीजा के कोई वारिसा नहीं है एवं प्रतिवादी संख्या 49 जो रामसहाय का वारिस है, जिसका हिस्सा 1/18, प्रतिवादी संख्या 50 लगायत 55 भगवाना के वारिसा है, जिनका हिस्सा 1/18, प्रतिवादी संख्या 56 लगायत 59 भूरा के वारिस है हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 60 लगायत 62

उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर)

घीसा के वारिस है हिस्सा 1/6 है। इस प्रकार सभी की हिस्सेदारी है। प्रतिवादीगण, वादीगण को वाद ग्रसत आराजी भूमि पर काशत नहीं करने, जबरन बेदखली करने के संबंध में एलानिया धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण अपने मनसूबों में कामयाब हो जाते हैं तथा आराजी मुतनाजा पर जबरन अपना कब्जा कर लेते हैं तो वादीगण के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा वादी को उसके विधिक अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा, जिसमें वादीगण को अकथनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार के धन राशि के रूप में संभव नहीं है। आराजी का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है, जिससे शामिल काशत करना संभव नहीं है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम भोजपुरा उर्फ लाखावाला के खाता संख्या 130 के खसरा नम्बर 634/0.21, 652/0.06, 663/0.04, 698/0.04 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर बहिस्सानुसार बंटवारा किया जावे। वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण कोई मजामहत उत्पन्न न करें, उपयोग-उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करें, कृषि कार्य करने देवे इस आशय की डिक्री प्रतिवादीगण के खिलाफ फरमाई जावे।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण की तल्वी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 62 को सम्यक् तामिल हुई, अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम भोजपुरा उर्फ लाखावाला खाता संख्या 130 संवत् 2070-2073, नकल नैक्शा ट्रेस ग्राम भोजपुरा उर्फ लाखावाला आदि पेश किए गये।

पत्रावली तारीख पेशी दिनांक 18.02.2021 को बहस प्राथमिक डिक्री सुनी गई। समस्त तथ्यों पर मनन किया गया। चूंकि दावा बंटवारा आराजीयात का है। तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाना न्यायोचित मानते हुए तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई।

5. तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
6. बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।
7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम भोजपुरा उर्फ लाखावाला के खाता संख्या 130 के खसरा नम्बर 634/0.21, 652/0.06, 663/0.04, 698/0.04 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काशत कर रहे हैं। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काशत करना संभव नहीं रहा है। वकील वादिया के निवेदन पर बहस बाद मनन कर प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काशतकारी



कार्यालय

Tris
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)


अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव को प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में बनाया गया है। उक्त खसरा नंबरों में दोनों पक्षों को रास्ते की कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों की भूमि हेतू मौके पर पहुंच रासता मौजूद है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर अधिवक्ता वादिया ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

8. वादीगण ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादीगण का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	1. ओमप्रकाश पुत्र नारायण हिस्सा 1/8 2. कमली पुत्री नारायण हिस्सा 1/8 3. गैन्दालाल पुत्र नारायण हिस्सा 1/8 4. धर्मराज पुत्र नारायण हिस्सा 1/8 5. फूली देवी पत्नि नारायण हिस्सा 1/8 6. मिश्री पुत्री नारायण हिस्सा 1/8 7. शिमला पुत्री नारायण हिस्सा 1/8 8. सूंसा पुत्री नारायण हिस्सा 1/8 समस्त जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	634/1/0.0116 हैक्टेयर
2	1. अमीचन्द पुत्र रामेश्वर हिस्सा 99/11240 2. अर्जुन पुत्र भैरुसिंह हिस्सा 99/2810 3. अशोक पुत्र तोफली हिस्सा 41/26976 4. उमराव पुत्र देवला हिस्सा 99/4215 5. कल्याण सहाय पुत्र महादेव हिस्सा 165/4496 राहिन बी.ओ.बी शाखा विराटनगर 6. काली पुत्री महोदव हिस्सा 41/8992 7. घीसा पुत्र नाथू हिस्सा 99/562 8. छाजू पुत्र देवला हिस्सा 99/4215 9. छाज्या पुत्र भैरुसिंह हिस्सा 99/2810 10. छीतर पुत्र भैरुसिंह, हिस्सा 99/2810	634/0.1984 हैक्टेयर


उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)



	11. झांझू पुत्र देवला हिस्सा 99/4215 12. दाताराम पुत्र गोपाल हिस्सा 99/2248 13. धूना देवी पत्नि रामेश्वर हिस्सा 99/11240 14. नेतराम पुत्र रामेश्वर हिस्सा 99/11240 15. पांचू पुत्र नानगा हिस्सा 99/2810 16. बनवारी पुत्र पन्ना हिस्सा 33/2810 17. बीज्या पुत्र भैरूसिंह हिस्सा 99/2810 18. भगवाना पुत्र किशना हिस्सा 33/562 19. भूरा पुत्र श्योनाथ हिस्सा 99/562 20. भौरा पुत्र पन्ना हिस्सा 33/2810 21. मूंगी देवी पत्नि ग्यारसा हिस्सा 33/6744 22. ममता पुत्री ग्यारसा हिस्सा 33/6744 23. मेवा पुत्री ग्यारसा हिस्सा 33/6744 24. रमेश पुत्र तोफली हिस्सा 41/26976 25. राजू पुत्र रामेश्वर हिस्सा 99/11240 26. रामकरण पुत्र पन्ना हिस्सा 33/2810 27. रामसहाय पुत्र लूणा हिस्सा 33/562 28. विक्रम पुत्र ग्यारसा हिस्सा 33/6744 29. विकास पुत्र ग्यारसा हिस्सा 33/6744 30. विमला पुत्री रामेश्वर हिस्सा 99/11240 31. श्रीराम पुत्र खीवा हिस्सा 99/2810 32. सुमन पुत्री तोफली हिस्सा 41/26976 33. सुरजा पुत्र भैरूसिंह हिस्सा 99/2810 34. हीरा देवी पुत्री ग्यारसा हिस्सा 33/6744 समस्त जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	
3	शामलाती	652/0.06, 663/0.04, 698/0.04 हैक्टियर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल-दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरुद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक-दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग-उपभोग शान्तिपूर्वक करें। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिकी तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 29.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)

उपखण्ड अधिकाारी
विराटनगर (जयपुर)



डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :- राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. फूली देवी पत्नी नारायण
2. गैन्दालाल
3. ओमप्रकाश
4. धर्मराज
5. कमली
6. मिश्री
7. सूसा
8. शिमला

पुत्रान नारायण

पुत्रियान नारायण

समस्त जाति गुर्जर निवासी भोजपुरा
उर्फ लाखावाला तहसील विराटनगर
जिला जयपुर राज0।



बनाम

— वादीगण

1. श्रीराम पुत्र खीवा
2. प्रहलाद
3. रामकंवार
4. जयराम
5. श्रवण
6. हजारी
7. मुखराम
8. बिमला
9. श्रवण
10. सरोज
11. गीता
12. बनवारी पुत्र पन्ना
13. छाजू पुत्र देवला
14. हीरा देवी पत्नि उमराव
15. गुलझारी
16. बाबूलाल
17. इन्द्राज
18. झाझू पुत्र देवला
19. जयराम
20. राधेश्याम
21. कमलेश
22. लाडा पत्नी दाताराम
23. रामवतार
24. हंसराज
25. प्रेम देवी पुत्री दाताराम
26. मूंगी पत्नि ग्यारसा

पुत्रान भौरा


पुत्रान रामकरण

पुत्रियान रामकरण

पुत्रान उमराव


पुत्रान पांचू

पुत्रान दाताराम



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

27. विक्रय } पुत्रान ग्यारसा
 28. विकास }
 29. ममता } पुत्रियान ग्यारसा
 30. मेवा }
 31. हीरा }
 32. कल्याण पुत्र महादेव
 33. राजू } पुत्रान रामेश्वर
 34. अमीचन्द }
 35. नेतराम }
 36. धूणा देवी पत्नि रामेश्वर
 37. विमला पुत्री रामेश्वर
 38. दौला पुत्र सूरजा (फौत)
 38/1. प्रकाश } पुत्रान दौला
 38/2. सुन्दर }
 38/3. सरबाई पुत्री स्व. दौला
 38/4. ज्याना पत्नि स्व. दौला
 39. हरला } पुत्रान सूरजा
 40. लीलाराम }
 41. अमरी
 42. पतासी
 43. गुल्ली पत्नी अर्जुन
 44. मदन पुत्र अर्जुन
 45. मेवारा पुत्र अर्जुन
 46. छोटी } पुत्रियान अर्जुन
 47. कमली }
 48. छीतर पुत्र भैरू (फौत)
 48/1. गौरा पत्नी छीतर
 48/2. संतराम पुत्र छीतर
 48/3. सूसा } पुत्रियान छीतर
 48/4. ग्यारसी }
 48/5. दाफा }
 49. पालाराम पुत्र रामसहाय
 50. बीरबल } पुत्रान भगवाना
 51. हनुमान }
 52. जयराम }
 53. श्रवण } पुत्रियान भगवाना
 54. फूली }
 55. सन्ती }
 56. छाजू पुत्र भूरा



[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर)

57. बरफी }
 58. कमली } पुत्रियान भूरा
 59. सूसा }
 60. उमराव } पुत्रान घीसा
 61. भम्भू }
 62. कमली पुत्री घीसा

समस्त जाति गुर्जर निवासी भोजपुरा उर्फ लाखावाला तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

63. उपपंजियक, उप पंजियक कार्यालय विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

64. राजस्थान सरकार भू-स्वामी जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या 78/2018 दावा बाबत भूमि बंटवारा एवं

स्थाई निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रुबरू श्री

गणपत लाल पंसारी, अधिवक्ता वादीगण व हाजरीमिन जानिब

मुद्दई रुबरू पैराकार सरकार कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर

निवेदन किया है कि वाके ग्राम भोजपुरा उर्फ लाखावाला के खाता संख्या 130

के खसरा नम्बर 634/0.21, 652/0.06, 663/0.04, 698/0.04 हैक्टेयर

कुल किता 4 कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर बहिस्सानुसार बंटवारा किया जावे।

वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण कोई मजामहत उत्पन्न न करें,

उपयोग-उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करें, कृषि कार्य करने देवे इस

आशय की डिक्री प्रतिवादीगण के खिलाफ फरमाई जावे।

सुना गया अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22

के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार

दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान

द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रैजात रिपोर्ट मय

नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य


निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काशतकार

घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	1. ओमप्रकाश पुत्र नारायण हिस्सा 1/8 2. कमली पुत्री नारायण हिस्सा 1/8 3. गैन्दालाल पुत्र नारायण हिस्सा 1/8 4. धर्मराज पुत्र नारायण हिस्सा 1/8 5. फूली देवी पत्नि नारायण हिस्सा 1/8 6. मिश्री पुत्री नारायण हिस्सा 1/8 7. शिमला पुत्री नारायण हिस्सा 1/8 8. सूसा पुत्री नारायण हिस्सा 1/8 समस्त जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	634/1/0.0116 हैक्टेयर
2	1. अमीचन्द पुत्र रामेश्वर हिस्सा 99/11240 2. अर्जुन पुत्र भैरुसिंह हिस्सा 99/2810 3. अशोक पुत्र तोफली हिस्सा 41/26976	634/0.1984 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

<ol style="list-style-type: none"> 4. उमराव पुत्र देवला हिस्सा 99/4215 5. कल्याण सहाय पुत्र महादेव हिस्सा 165/4496 राहिन बी.ओ.बी शाखा विराटनगर 6. काली पुत्री महोदव हिस्सा 41/8992 7. घीसा पुत्र नाथू हिस्सा 99/562 8. छाजू पुत्र देवला हिस्सा 99/4215 9. छाज्या पुत्र भैरूसिंह हिस्सा 99/2810 10. छीतर पुत्र भैरूसिंह हिस्सा 99/2810 11. झांझू पुत्र देवला हिस्सा 99/4215 12. दाताराम पुत्र गोपाल हिस्सा 99/2248 13. धूना देवी पत्नि रामेश्वर हिस्सा 99/11240 14. नेतराम पुत्र रामेश्वर हिस्सा 99/11240 15. पांचू पुत्र नानगा हिस्सा 99/2810 16. बनवारी पुत्र पन्ना हिस्सा 33/2810 17. बीज्या पुत्र भैरूसिंह हिस्सा 99/2810 18. भगवाना पुत्र किशना हिस्सा 33/562 19. भूरा पुत्र श्योनाथ हिस्सा 99/562 20. भौरा पुत्र पन्ना हिस्सा 33/2810 21. मूंगी देवी पत्नि ग्यारसा हिस्सा 33/6744 22. ममता पुत्री ग्यारसा हिस्सा 33/6744 23. मेवा पुत्री ग्यारसा हिस्सा 33/6744 24. रमेश पुत्र तोफली हिस्सा 41/26976 25. राजू पुत्र रामेश्वर हिस्सा 99/11240 26. रामकरण पुत्र पन्ना हिस्सा 33/2810 27. रामसहाय पुत्र लूणा हिस्सा 33/562 28. विक्रम पुत्र ग्यारसा हिस्सा 33/6744 29. विकास पुत्र ग्यारसा हिस्सा 33/6744 30. विमला पुत्री रामेश्वर हिस्सा 99/11240 31. श्रीराम पुत्र खीवा हिस्सा 99/2810 32. सुमन पुत्री तोफली हिस्सा 41/26976 33. सुरजा पुत्र भैरूसिंह हिस्सा 99/2810 34. हीरा देवी पुत्री ग्यारसा हिस्सा 33/6744 	
<p>समस्त जाति गुर्जर सा. देह खातेदार</p> <p>3. शामलाती</p>	<p>652/0.06, 663/0.04, 698/0.04 हैक्टयर</p>



तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल-दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरुद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक-दूसरे के खसरा

(Signature)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

नम्बर/रकवा के उपयोग-उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 29.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Signature)

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुबलिकशून्य..... वावतशून्य.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वशरतशून्य..... की
सदी सलाना आज की तारीख वसूलयावी तकशून्य..... का
अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज
तारीख 29.07.2021 को जारी की गई।

(Signature)

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)



मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प बजह सबूत		महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बवत इजराय	
बवत इजराय हुक्मनामा		हुक्मनामा	
		मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया,। फीस दर्ज करना चाहिए।

(Signature)

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)